

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 974/ 2024

IN THE MATTER OF:

Jitendra Nishad

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

...Respondents

INDEX

S. No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Compliance Affidavit on behalf of Respondent No. 3, Uttar Pradesh Pollution Control Board in pursuance to the Order dated 07.03.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.	1 – 4
2.	Annexure No. R3/1 A true copy of the Letter dated 10.03.2025 sent by UPPCB to the mining inspector.	5
3.	Annexure No. R3/2 A true copy of the Letter dated 10.03.2025 sent by the District Mining Officer, Prayagraj.	6
4.	Annexure No. R3/2 (Colly) A true copy of the inspection reports dated 11.03.2025 of the Respondent No. 9, 10 and 11 alongwith photographs.	7 – 15

UPPCB (RESPONDENT NO. 3)
THROUGH

Amit Shukla, Adv.

D-54, Sector – 48

Noida – 201303

Ph. No. 9999933220; 9999333220

Email: amit.shukla@lexweb.in

Date: 17.03.2025

Place: New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 974/2024

IN THE MATTER OF:

Jitendra Nishad

....Applicant

Versus



State of Uttar Pradesh

....Respondent(s)

COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE
RESPONDENT NO.3, UTTAR PRADESH POLLUTION
CONTROL BOARD, IN PURSUANCE TO THE ORDER
DATED 07.03.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

I, Dr. Suresh Chandra Shukla aged about 59 years, S/o Late.
Raj Nath Shukla, presently posted as Regional Officer, Uttar
Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Prayagraj
do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That this Hon'ble Tribunal vides its order dated 07.03.2025 has directed the UPPCB to file the reports regarding the compliance status of the Respondent Nos. 9, 10 and 11.



3. That the UPPCB has vide its letter dated 10.03.2025 has requested to the Mining Inspector, Prayagraj for providing the information regarding the mining lease holders involved in present matter i.e. Respondent No.9, Respondent No.10 and Respondent No.11.

A true copy of the letter dated 10.03.2025 sent by the UPPCB to the mining Inspector is annexed herewith as Annexure No.-R3/1.

4. That the District Mining, Officer, Prayagraj has vide its letter no.-2604/खनिज/2024-25 dated 10.03.2025 has informed that the mining activities of Respondent No.9, 10 and 11 has already been restrained vide letter no.-2170/खनिज/2024-25 dated 09.11.2024 till further orders of this Hon'ble Tribunal.

A true copy of the letter dated 10.03.2025 sent by the District Mining Officer, Prayagraj is annexed herewith as Annexure No.-R3/2.



5. That the officials of UPPCB have conducted the inspection of the Respondent No.9 (Ravi Shankar Shukla), Respondent No.10 (Surendra Kumar) and Respondent No.11 (M/s Ram Ratan Construction) on 11.03.2025.

A true copy of the inspection reports dated 11.03.2025 of the Respondents No.9, 10 and 11 along with photographs are collectively annexed herewith as Annexure No.-R3/2 (Colly).

6. That as per the above inspection reports dated 11.03.2025 the following deficiencies were found:

i. **Respondent No.9 (Ravi Shankar Shukla)**

The plantation has not done by the project proponent on both sides of the haulage road. No arrangement of water sprinkling was found at the site for dust suppression. The project proponent has also not installed the PTZ camera and Weigh Bridge. The septic tank/soakpit arrangement for treatment of domestic effluent has not been installed. First-aid box was not found at the mining project site. Hand pump and other arrangements for potable water supply were also not found. The project proponent has also not provided the Ambient Air Quality Report.

ii. **Respondent No.10 (Surendra Kumar)**

No arrangement of water sprinkling was found at the site for dust suppression. The project proponent has also not installed the PTZ camera and Weigh Bridge. The septic tank/soak pit arrangement for treatment of domestic effluent has not been installed. First-aid box was not found at the mining project site. Hand pump and other arrangements for potable water supply were also not found. The project proponent has also not provided the Ambient Air Quality Report.

iii. **Respondent No.11 (M/s Ram Ratan Construction)**

The plantation has not done by the project proponent on both sides of the haulage road. No arrangement of water sprinkling was found at the site for dust suppression. The project proponent has also not installed the PTZ camera and Weigh Bridge. The septic tank/soakpit arrangement for treatment of domestic effluent has not



been installed. First-aid box was not found at the mining project site. Hand pump and other arrangements for potable water supply were also not found. The project proponent has also not provided the Ambient Air Quality Monitoring Report.




DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Prayagraj on this 17th day of March, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.



DEPONENT



17-3-25

S.C. Sengupta

This document is a true and correct copy of the original document as shown before me at Allahabad the document is / is identified by sri. *S. C. Sengupta* Advocate the Contents of the document has been explained to the *S. C. Sengupta* and he / she has admitted the to be correct and the documents is / are true

Ch
Ramesh Chandra Ojha
Advocate Notary
17-3-25
Head Quarters

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD



आवास विकास परिषद कालोनी, रोक्टर-10, योजना संख्या-3, झूँसी, प्रयागराज- 211018

Email-roprayagraj@uppcb.in

पत्रांक 610522 / NCTO A. NCO. 974 / 2024 / 2025

दिनांक 10/03/2025

सेवा में,

वरिष्ठ खान अधिकारी,
प्रयागराज।

विषय: माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 974/2024 जितेन्द्र निषाद बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 07.03.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 974/2024 जितेन्द्र निषाद बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 07.03.2025 को आदेश पारित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

".....2. Reports dated 06.03.2025 have been filed by respondents no. 9, 10 and 11.

3. Learned counsel for respondent no. 3-UPPCB seeks time to file report regarding compliance status of respondents no. 9, 10 and 11.

4. Learned counsel for respondent no. 4-MoEF&CC also seeks time to file its response.

5. Reports by UPPCB and response by respondent no. 4-MoEF&CC may be filed at least one day before the date of hearing fixed.

6. Responses by all other respondents may also be filed at least one day before the date of hearing fixed.

7. List on 19.03.2025 for further consideration.

अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित सैण्ड माईनिंग प्रोजेक्ट आच्छादित है:-

1. मेसर्स श्री रविशंकर शुक्ला पुत्र श्री परमानन्द शुक्ला निवासी ग्राम-सरायकाजी कादन उर्फ मियाँपुर, थाना-लाईन बाजार, जनपद-जौनपुर के पक्ष में स्वीकृत यमुना नदी के खण्ड सं0-16, ग्राम-मड़ौका, मीरखपुर, महेवापट्टी पश्चिम, तहसील-करछना, जनपद-प्रयागराज (रकबा-8.00 हेक्टेयर)।
2. मेसर्स श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 शिव मूर्ति भारतीय, निवासी ग्राम-बेरुई, पोस्ट-गारापुर थरवई, तहसील-फूलपुर, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में स्वीकृत यमुना नदी के खण्ड सं0-14, ग्राम-बसवार, तहसील-करछना, जनपद-प्रयागराज (रकबा-4.69 हेक्टेयर)।
3. मेसर्स राम रतन कॉन्स्ट्रक्शन, प्रोपराईटर श्री राम रतन निषाद पुत्र स्व0 लल्लू लाल, निवासी-6/41, न्यू झूँसी बाजार, थाना-झूँसी, तहसील-फूलपुर, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में यमुना नदी के खण्ड सं0-21, ग्राम-आदमपुर (मदारीपुर से सादियापुर तक) तहसील-सदर, जनपद-प्रयागराज (रकबा-5.00 हेक्टेयर) प्रश्नगत प्रकरण में अगली सुनवाई मा0 अधिकरण में दिनांक 19.03.2025 को नियत है।

अतः उक्त सभी तीन सैण्ड माईनिंग प्रोजेक्ट के बंद/संचालन के संबंध में अद्यतन स्थिति से 02 दिन के अंदर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,


16/3/25
(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


10/3/25
क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

मीनाक्षी सिंह
10/03/2025

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज
(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 2604/खनिज/2024-25

दिनांक: 10/03/2025

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

विषय-माननीय एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०-974/2024 जितेन्द्र निपाद बनाम उ०प्र० राज्य में दिनांक 07.03.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-GO1522/NGT OA No. 974/2024/2025 दिनांक 10.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं०-974/2024 जितेन्द्र निपाद बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 07.03.2025 को पारित आदेश के क्रम में प्रकरण से सम्बन्धित 03 सैण्ड मार्किंग प्रोजेक्ट के बन्द/संचालन के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से 02 दिन के अन्दर अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ओ०ए० नं०-974/2024 में पूर्व पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में प्रकरण से सम्बन्धित निम्नलिखित 03 साधारण बालू खनन पट्टों को आदेश संख्या-2170/खनिज/2024-25 दिनांक 09.11.2024 द्वारा अग्रिम आदेशों तक के लिए खनन संत्रिया से पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया गया है:-

क्र० सं०	पट्टाधारक का नाम	खनन पट्टा क्षेत्र का विवरण				स्वीकृत अवधि
		तहसील	ग्राम	खण्ड संख्या	रकबा (है मी)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० शिवमूर्ति भारतीय निवासी ग्राम-बेरुई, पो०-गारापुर, धरवई, फूलपुर, प्रयागराज।	करछना	बसवार (यमुना नदी)	खण्ड संख्या-14	4.69	09.01.2023 से 08.01.2028 तक
2.	श्री रविशंकर शुक्ला पुत्र श्री परमानन्द शुक्ला निवासी-सरायकाजी कादन उर्फ मियापुर, धाना-लाईन बाजार, जनपद-जीनपुर (उ०प्र०)	करछना	मड़ोका, भीरकपुर, महेया पट्टी पश्चिम (यमुना नदी)	खण्ड संख्या-18	8.00	01.12.2021 से 30.11.2026 तक
3.	श्री राम रतन कन्सल्टेशन प्रो० श्री रतन कुमार निपाद पुत्र स्व० लखू लाल निवासी-8/41 नई झंसी बाजार, धाना-झंसी, तहसील-फूलपुर, प्रयागराज।	सदर	आदमपुर, मदारपुर से सदियापुर (यमुना नदी)	खण्ड संख्या-21	5.00	01.12.2021 से 30.11.2026 तक

अतः तदनुसार प्रकरण से अवगत होते हुए अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय कुमार यादव)
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
प्रयागराज।

10/03/25
10/03/2025

ANNEXURE No. R3/2 (Colly)

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 974/2024 जितेन्द्र निषाद बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2025 के अनुपालन में मेसर्स श्री रविशंकर शुक्ला पुत्र श्री परमानन्द शुक्ला निवासी ग्राम-सरायकाजी कादन उर्फ मियाँपुर, थाना-लाईन बाजार, जनपद-जौनपुर के पक्ष में स्वीकृत यमुना नदी के खण्ड सं0-16, ग्राम-मडौका, मीरखपुर, महेवापट्टी पश्चिम, तहसील-करछना, जनपद-प्रयागराज (रकबा-8.00 हेक्टेयर) की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 974/2024 जितेन्द्र निषाद बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 07.03.2025 को आदेश पारित किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश निम्नवत् है:-

1. Affidavit dated 20.01.2025 has been filed by respondent no. 3- UPPCB.
2. Reports dated 06.03.2025 have been filed by respondents no. 9, 10 and 11.
3. Learned counsel for respondent no. 3-UPPCB seeks time to file report regarding compliance status of respondents no. 9, 10 and 11.
4. Learned counsel for respondent no. 4-MoEF&CC also seeks time to file its response.
5. Reports by UPPCB and response by respondent no. 4-MoEF&CC may be filed at least one day before the date of hearing fixed.
6. Responses by all other respondents may also be filed at least one day before the date of hearing fixed.
7. List on 19.03.2025 for further consideration.
8. Interim injunctive order dated 04.11.2024 to continue until further orders to the contrary."

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या जी01522/एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0 974/2024/2025, दिनांक 10.03.2025 के माध्यम से मेसर्स श्री रविशंकर शुक्ला पुत्र श्री परमानन्द शुक्ला निवासी ग्राम-सरायकाजी कादन उर्फ मियाँपुर, थाना-लाईन बाजार, जनपद-जौनपुर के पक्ष में स्वीकृत यमुना नदी के खण्ड सं0-16, ग्राम-मडौका, मीरखपुर, महेवापट्टी पश्चिम, तहसील-करछना, जनपद-प्रयागराज (रकबा-8.00 हेक्टेयर) के बन्द/संचालन के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ज्येष्ठ खान अधिकारी, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र संख्या 2604/खनिज/2024-25, दिनांक 10.03.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ओ0ए0 नं0 974/2024 में मा0 अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में उक्त सैण्ड मार्निंग प्रोजेक्ट को आदेश संख्या 2170/खनिज/2024-25, दिनांक 09.11.2024 द्वारा अग्रिम आदेशों तक के लिए खनन सक्रिया से पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

मेसर्स श्री रविशंकर शुक्ला पुत्र श्री परमानन्द शुक्ला निवासी ग्राम-सरायकाजी कादन उर्फ मियाँपुर, थाना-लाईन बाजार, जनपद-जौनपुर के पक्ष में स्वीकृत यमुना नदी के खण्ड सं0-16, ग्राम-मडौका, मीरखपुर, महेवापट्टी पश्चिम, तहसील-करछना, जनपद-प्रयागराज (रकबा-8.00 हेक्टेयर) का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.03.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय लिये गये

फोटोग्राफ्स अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण के दौरान खनन पट्टे में खनन कार्य संचालित नहीं पाया गया। राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच 22892/सी-2/एन0जी0टी0-690/25, दिनांक-17.01.2025 के द्वारा पट्टाधारक श्री रविशंकर शुक्ला पुत्र श्री परमानन्द शुक्ला के विरुद्ध 532 दिनों के डिफाल्टर अवधि हेतु कुल रू0 53,20,000/- (रू0 तिरपन लाख बीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

निरीक्षण के समय खनन पट्टा स्थल पर कोई भी पट्टाधारक का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के समय निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :-

1. पट्टाधारक द्वारा हॉलेज रोड के दोनों तरफ पौधरोपण नहीं किया गया है।
2. स्थल पर डस्ट के सप्रेसन हेतु वाटर स्प्रींकलिंग की कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी।
3. निरीक्षण के समय खनन स्थल पर पी0टी0 जेड कैमरा एवं वे-ब्रिज की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
4. पट्टाधारक द्वारा घरेलू बहिस्त्राव के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।
5. माईनिंग प्रोजेक्ट स्थल पर फर्स्ट ऐड बॉक्स की व्यवस्था नहीं पायी गयी। माईनिंग साईट पर स्वच्छ जलापूर्ति हेतु हैण्डपम्प/अन्य व्यवस्था नहीं पायी गयी।
6. प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण एन0ए0बी0एल0 एक्रीटेडेड प्रयोगशाला से कराकर आख्या अभी तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।



12/03/2025

(कौशल कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


12/3/25



मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं० 974/2024 जितेन्द्र निषाद बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2025 के अनुपालन में मेसर्स श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० शिव मूर्ति भारतीय, निवासी ग्राम-बेरुई, पोस्ट-गारापुर थरवई, तहसील-फूलपुर, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में स्वीकृत यमुना नदी के खण्ड सं०-14, ग्राम-बसवार, तहसील-करछना जनपद-प्रयागराज (रकबा-4.69 हेक्टेयर) की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं० 974/2024 जितेन्द्र निषाद बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 07.03.2025 को आदेश पारित किया गया है। मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश निम्नवत् है:-

1. Affidavit dated 20.01.2025 has been filed by respondent no. 3- UPPCB.
2. Reports dated 06.03.2025 have been filed by respondents no. 9, 10 and 11.
3. Learned counsel for respondent no. 3-UPPCB seeks time to file report regarding compliance status of respondents no. 9, 10 and 11.
4. Learned counsel for respondent no. 4-MoEF&CC also seeks time to file its response.
5. Reports by UPPCB and response by respondent no. 4-MoEF&CC may be filed at least one day before the date of hearing fixed.
6. Responses by all other respondents may also be filed at least one day before the date of hearing fixed.
7. List on 19.03.2025 for further consideration.
8. Interim injunctive order dated 04.11.2024 to continue until further orders to the contrary."

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या जी०1522/एन०जी०टी० ओ०ए० नं० 974/2024/2025, दिनांक 10.03.2025 के माध्यम से मेसर्स श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० शिव मूर्ति भारतीय, निवासी ग्राम-बेरुई, पोस्ट-गारापुर थरवई, तहसील-फूलपुर, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में स्वीकृत यमुना नदी के खण्ड सं०-14, ग्राम-बसवार, तहसील-करछना जनपद-प्रयागराज (रकबा-4.69 हेक्टेयर) के बन्द/संचालन के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ज्येष्ठ खान अधिकारी, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र संख्या 2604/खनिज/2024-25, दिनांक 10.03.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ओ०ए० नं० 974/2024 में मा० अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में उक्त सैण्ड मार्निंग प्रोजेक्ट को आदेश संख्या 2170/खनिज/2024-25, दिनांक 09.11.2024 द्वारा अग्रिम आदेशों तक के लिए खनन सांक्रिया से पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।


मेसर्स श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० शिव मूर्ति भारतीय, निवासी ग्राम-बेरुई, पोस्ट-गारापुर थरवई, तहसील-फूलपुर, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में स्वीकृत यमुना नदी के खण्ड सं०-14, ग्राम-बसवार, तहसील-करछना जनपद-प्रयागराज (रकबा-4.69 हेक्टेयर) का निरीक्षण

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.03.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स अवलोकनार्थ संलग्न हैं। निरीक्षण के दौरान खनन पट्टे में खनन कार्य संचालित नहीं पाया गया। राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच 22890/सी-2/एन0जी0टी0-689/25, दिनांक-17.01.2025 के द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 शिव मूर्ति भारतीय के विरुद्ध 105 दिनों के डिफाल्टर अवधि हेतु कुल रू0 10,50,000/- (रू0 दस लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

निरीक्षण के समय खनन पट्टा स्थल पर पट्टाधारक के प्रतिनिधि के रूप में श्री संतोष कुमार, मुंशी एवं श्री हनुमन्त कुमार, वर्कर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :-


1. पट्टाधारक द्वारा हॉलेज रोड के बायें तरफ अस्थायी कार्यालय के सामने 10-12 पौधे रोपित पाये गये।
2. स्थल पर डस्ट के सप्रेसन हेतु वाटर स्प्रिंकलिंग की कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी।
3. निरीक्षण के समय अस्थायी कार्यालय पर सी0सी0 टी0वी0 कैमरा एवं वे-ब्रिज स्थापित पाया गया।
4. खनन स्थल पर पी0टी0 जेड कैमरा की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
5. पट्टाधारक द्वारा घरेलू बहिस्त्राव के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।
6. माईनिंग प्रोजेक्ट स्थल पर फर्स्ट ऐड बॉक्स की व्यवस्था नहीं पायी गयी। माईनिंग साईट पर स्वच्छ जलापूर्ति हेतु हैण्डपम्प/अन्य व्यवस्था नहीं पायी गयी।
7. प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण एन0ए0बी0एल0 एक्रीटेडेड प्रयोगशाला से कराकर आख्या अभी तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है।
उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


12/3/25


12/03/2025
(कौशल कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता



मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 974/2024 जितेन्द्र निषाद बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2025 के अनुपालन में मेसर्स राम रतन कॉन्स्ट्रक्शन, प्रोपराईटर श्री राम रतन निषाद पुत्र स्व0 लल्लू लाल, निवासी-6/41, न्यू झूंसी बाजार, थाना-झूंसी, तहसील-फूलपुर, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में ग्राम-आदमपुर (मदारीपुर से सादियापुर) के बालू/मोरम खण्ड सं0-21 कुल रकबा 5.00 हेक्टेयर की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 974/2024 जितेन्द्र निषाद बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 07.03.2025 को आदेश पारित किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश निम्नवत् है:-

- "1. Affidavit dated 20.01.2025 has been filed by respondent no. 3- UPPCB.
2. Reports dated 06.03.2025 have been filed by respondents no. 9, 10 and 11.
3. Learned counsel for respondent no. 3-UPPCB seeks time to file report regarding compliance status of respondents no. 9, 10 and 11.
4. Learned counsel for respondent no. 4-MoEF&CC also seeks time to file its response.
5. Reports by UPPCB and response by respondent no. 4-MoEF&CC may be filed at least one day before the date of hearing fixed.
6. Responses by all other respondents may also be filed at least one day before the date of hearing fixed.
7. List on 19.03.2025 for further consideration.
8. Interim injunctive order dated 04.11.2024 to continue until further orders to the contrary."

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या जी01522/एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0 974/2024/2025, दिनांक 10.03.2025 के माध्यम से मेसर्स राम रतन कॉन्स्ट्रक्शन, प्रोपराईटर श्री राम रतन निषाद पुत्र स्व0 लल्लू लाल, निवासी-6/41, न्यू झूंसी बाजार, थाना-झूंसी, तहसील-फूलपुर, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में ग्राम-आदमपुर (मदारीपुर से सादियापुर) के बालू/मोरम खण्ड सं0-21 कुल रकबा 5.00 हेक्टेयर के बन्द/संचालन के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ज्येष्ठ खान अधिकारी, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र संख्या 2604/खनिज/2024-25, दिनांक 10.03.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ओ0ए0 नं0 974/2024 में मा0 अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन में उक्त सैण्ड मार्निंग प्रोजेक्ट को आदेश संख्या 2170/खनिज/2024-25, दिनांक 09.11.2024 द्वारा अग्रिम आदेशों तक के लिए खनन संक्रिया से पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

मेसर्स राम रतन कॉन्स्ट्रक्शन, प्रोपराईटर श्री राम रतन निषाद पुत्र स्व0 लल्लू लाल, निवासी-6/41, न्यू झूंसी बाजार, थाना-झूंसी, तहसील-फूलपुर, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में ग्राम-आदमपुर (मदारीपुर से सादियापुर) के बालू/मोरम खण्ड सं0-21 कुल रकबा 5.00 हेक्टेयर

का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.03.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण के दौरान खनन पट्टे में खनन कार्य संचालित नहीं पाया गया। राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच 22891/सी-2/एन0जी0टी0-687/25, दिनांक-17.01.2025 के द्वारा मेसर्स राम रतन कन्स्ट्रक्शन, प्रोपराईटर श्री राम रतन निषाद के विरुद्ध 759 दिनों के डिफाल्टर अवधि हेतु कुल रू0 47,43,750/- (रू0 सैतालिस लाख तैतालिस हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

निरीक्षण के समय खनन पट्टा स्थल पर कोई भी पट्टाधारक का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के समय निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :-

1. पट्टाधारक द्वारा हॉलेज रोड के दोनों तरफ पौधरोपण नहीं किया गया है।
2. स्थल पर डस्ट के सप्रेसन हेतु वाटर स्प्रीविलिंग की कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी।
3. निरीक्षण के समय खनन स्थल पर पी0टी0 जेड कैमरा एवं वे-ब्रिज की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
4. पट्टाधारक द्वारा घरेलू बहिष्ठाव के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।
5. माईनिंग प्रोजेक्ट स्थल पर फर्स्ट ऐड बॉक्स की व्यवस्था नहीं पायी गयी। माईनिंग साईट पर स्वच्छ जलापूर्ति हेतु हैण्डपम्प/अन्य व्यवस्था नहीं पायी गयी।
6. प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण एन0ए0बी0एल0 एक्रीटेडेड प्रयोगशाला से कराकर आख्या अभी तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है। उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


12/03/2025
(कौशल कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


12/3/25

